# उत्तर प्रदेश लेखपाल संघ

पंजीकृत संख्या : 75–4/II–A/359, 14 नवम्बर 1962

प्रधान कार्यालय : आलमबाग, रोडवेज बस स्टेशन के सामने, (सुजानपुरा) ओम नगर, आलमबाग, लखनऊ

Web : www.lekhpal.wordpress.com, E-mail : lekhpal.up@gmail.com

**रविन्द्र नाथ त्रिपाठी**
प्रदेश अध्यक्ष
सम्पर्क ☎ : 0551–2241716, मो0: 9415548535
पत्राचार : मो0 तिवारीपुर, निकट गायत्री मन्दिर, गोरखपुर

**अवधेश सिंह चौहान**
प्रदेश महामन्त्री
सम्पर्क ☎ : 05872–252057, मो0: 9415172656
पत्राचार : डी.सी. रोड, मो0 सिकटिहा, लखीमपुर–खीरी

✱ उपाध्यक्ष गण ✱

**हरदेव शर्मा**
(पश्चिमी जोन)
मो. 09412869499

**राजेन्द्र सिंह कछवाह**
(मध्य जोन)
मो. 09450223683

**पुट्टी लाल यादव**
(पूर्वी जोन)
मो. 09450088433

✱ कोषाध्यक्ष ✱

**अमलेश कुमार शर्मा**
मो. 09837062257

✱ संगठन मंत्री गण ✱

**कृष्ण कुमार सिंह**
(पश्चिमी जोन)
मो. 09058499749

**सुशील कुमार श्रीवास्तव**
(मध्य जोन)
मो. 09415525914

**इफ्तखार अहमद**
(पूर्वी जोन)
मो. 09450548706

✱ आडीटर ✱

**राज किशोर अवस्थी**
मो. 09936642639

✱ प्रभारी कम्प्यूटर ✱

**बद्रीनाथ उपाध्याय**
मो. 9450775146

पत्रांक**सेवा में,** दिनांक 07.10.15......

**मा0 अध्यक्ष महोदय,**
**राजस्व परिषद, लखनऊ।**

**विषय–** **ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत लेखपालों के पोर्टल में आने वाली समस्याओं के सम्बन्ध में।**

**महोदय,**

अधोहस्ताक्षरी को निदेश हुआ है कि आपका ध्यान उक्त विषय की ओर आकृष्ट कराते हुए सादर अवगत कराऊं कि उत्तर प्रदेश सरकार की अति महत्वपूर्ण ई–डिस्ट्रिक्ट परियोजना के अन्तर्गत लेखपालों के पोर्टल में निम्नलिखित समस्या आती है, जिसका विवरण निम्नवत् है–

1. लेखपालों द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट पोर्टल के माध्यम से आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र व निवास प्रमाण पत्र जारी किये जाते है, जिसमें INBOX में क्रमशः जाति, आय, निवास दिखाई पड़ते हैं, इन सभी प्रमाणपत्रों को **FIFO (पहले आओ पहले पाओ)** के आधार पर जांच के उपरान्त जारी किये जाते हैं, ARCHIVE लिंक में सम्बन्धित लेखपाल के द्वारा पूर्व में जारी किये गये एवं निरस्त किये गये जाति प्रमाण–पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र दिखाई देने चाहिए परन्तु साफ्टवेयर में ARCHIVE लिंक पर जाति,आय,निवास लिखा तो दिखाई पड़ता है परन्तु उसमें कोई डाटा नहीं रहता है, जिसके कारण लेखपालों के द्वारा पूर्व में जारी किये गये प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी नहीं हो पाती है, कुछ गलत लोग दुबारा आय प्रमाण पत्र का आवेदन डालकर गलत ढंग से दूसरा आय प्रमाण पत्र पाने का प्रयास करते हैं, यदि लेखपालों के ARCHIVE लिंकपर पूर्व में जारी प्रमाण पत्रों की जानकारी रहेगी तो गलत लोग इसका फायदा नहीं उठा पायेंगे।

**शेष पृष्ठ–2–पर**

2. सामान्यतः किसी भी साफ्टवेयर में यह व्यवस्था होती है कि यदि कोई डाटा **फ्रीज** किया जाये तो कम से कम दो बार **ओके** बटन दबाना पड़ता है, परन्तु इस साफ्टवेयर में यदि कोई डाटा एक बार फ्रीज हो गया तो दुबारा उसको ठीक/संशोधित नहीं किया जा सकता है। अतः इस साफ्टवेयर में भी दो स्तर पर **ओके** होने के बाद ही डाटा फ्रीज हो और यदि फाइनल डाटा फ्रीज होने के पहले कोई कमी महसूस होती है तो उसको दुबारा दुरूस्त किया जा सके।

3. लेखपालों को भी **डिजिटल सिग्नेचर** के माध्यम से ही प्रमाण पत्र जारी करने हेतु साफ्टवेयर में संशोधन किया जाये एवं सभी लेखपालों को डिजिटल सिग्नेचर उपलब्ध कराया जाये, जिससे की प्रमाण पत्र जारी करने की सुचिता प्रभावित न हो।

4. लेखपालों के पोर्टल पर भी **MIS** (Management Information System) की सुविधा भी प्रदान की जाये, जिससे की लेखपाल लोग अपने पोर्टल से जारी प्रमाण पत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त कर सके।

**तदनुसार, साफ्टवेयर में संसोधन किये जाने हेतु प्रभावी कार्यवाही करवाने की कृपा करें।**

**महती कृपा होगी।**

**भवदीय,**

**(अवधेश सिंह चौहान)**
**प्रदेश महामंत्री**